बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 209727 पटना, दिनांक 21.11.2014

ग्रा0वि0-अनु0को0- 78/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>

बिहार ।

विषय:- **सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में अतिरिक्त दिशा निर्देश देने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक- 11.10.2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभआरंभ किया गया है । कृपया इस योजना के मार्गदर्शिका के कंडिका 11 का संदर्भ लिया जाय । इस योजना के विभिन्न चरणों के क्रियाकलापों के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। प्रथम एक माह में यथा दिनांक- 11.11.2014 सभी माननीय सांसदों को आदर्श ग्राम का चयन करना है। अबतक 46 माननीय सांसदों (37 लोकसभा एवं 9 राज्य सभा) के द्वारा चयनित आदर्श ग्राम पंचायत को इस योजना की वेबसाईट www.saanjhi.gov.in पर अपलोड किया गया है। जिन माननीय सांसद द्वारा अबतक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया गया है, संबंधित जिला पदाधिकारी उनसे सम्पर्क स्थापित कर ग्राम पंचायतों का चयन करने का अनुरोध करे तथा इसे वेबसाईट पर अपलोड कराये । विदित हो कि इस कार्य में अत्यधिक विलम्व हो चुका है।

इस क्रम में अगले 2 माह में यथा दिनांक- 11.01.2015 तक इस योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु संबंधित चयनित आदर्श ग्राम पंचायत में अभियान चलाना है । इसके लिए जिला प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर सकते है, यथा राज्य स्तर से प्रदान किया गया आदर्श ग्राम से संबंधित वृत्तचित्र का चयनित आदर्श ग्राम में प्रदर्शन करना, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजना के संबंध में जागरूकता फैलाना या अन्य प्रचार-प्रसार का कोई माध्यम जिससे की सभी ग्रामवासी इस योजना के मूल उद्देश्य को समझ सके तथा ग्राम्य विकास योजना (Village Development Plan) तैयार करने के चरण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके ।

कृपया इस योजना के मार्गदर्शिका के कंडिका 12 (घ) का भी संदर्भ लिया जाय । जिला पदाधिकारी जो इस योजना के नोडल पदाधिकारी भी हैं, माननीय सांसदों द्वारा चयनित प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरीयता (वरीय उप समाहर्ता से न्यून स्तर का नहीं होना चाहिए) वाले सक्षम पदाधिकारी का चयन करेगें तथा इस योजना के प्रभारी अधिकारी (Charge officer) के रूप में इनकी नियुक्ति करेंगे । प्रभारी अधिकारी उक्त ग्राम पंचायत में सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगें तथा कार्यान्वयन के लिए पूर्णत: जिम्मेदार एवं जवाबदेह होगें ।

अनुरोध है कि प्रभारी पदाधिकारियों का चयन कर इसकी सूचना निम्न दिये गये विहित प्रपत्र में विभाग को प्रेषित करे, ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी सूचना भेजी जा सके।

क्र0सं0	**जिला का नाम**	**माननीय सांसद का नाम**	**चयनित आदर्श ग्राम पंचायत का नाम**	**नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी (Charge officer)**
1	2	3	4	5

विश्वासभाजन

(एस0एम0राजू)

सचिव 21/11/14

AMS. OSD- Letter- 534

Help Line No. 18001208001